इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2025—माघ 3, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र. एफ 3–3–4–0001–2025–1–सत्रह.– मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में.–

(1) नियम 1 में, उप–नियम (1) में, शब्द "शिक्षा" के स्थान पर, शब्द "शिक्षण" स्थापित किया जाए।

(2) अनुसूची–एक में, कालम (3) में,–

(एक) अनुकमांक 1 में, खण्ड (दो) में, शब्द "व हिन्दी" का लोप किया जाए।

(दो) अनुकमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"4.	पी.बी–बी. एससी.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रवर्ग एवं श्रेणी,–			
		(एक)	हायर सेकेण्डरी या सीनियर सेकेण्डरी या इंटरमीडियट अथवा 10+2 अथवा इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1986 को या उसके पूर्व 10+1 किया हो, प्रवेश के लिए पात्र होंगे।		
		(दो)	जनरल नर्सिंग तथा मिडवाइफरी में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो तथा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में आर.एन.आर.एम. के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।		
		(तीन)	मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में नर्स के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के अलावा नवीन समेकित पाठ्यक्रम के लागू होने के पूर्व प्रशिक्षित कोई पुरूष नर्स, निम्न में से किसी एक क्षेत्र में, मिडवाइफरी के बदले समान अवधि के लिए भारतीय नर्सिंग काउन्सिल द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–		
			(क)	ओ.टी. तकनीक	
			(ख)	नेत्र (ओप्थेल्मिक) नर्सिंग	
			(ग)	कुष्ठ रोग (लेप्रसी) नर्सिंग	
			(घ)	टीबी नर्सिंग	
			(ङ)	मनोरोग (साइकियाट्रिक) नर्सिंग	
			(च)	न्यूरोलाजिकल तथा न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग	
			(छ)	कम्युनिटि हेल्थ नर्सिंग	
			(ज)	कैंसर नर्सिंग	
			(झ)	आर्थोपेडिक नर्सिंग	

			वर्णांध अभ्यर्थी पात्र है, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा रंग सुधारात्मक (कलर करेक्टिव) कान्टेक्ट लेंस और चश्मा पहना गया हो।	
		(चार)	अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए।	
		(पांच)	आरक्षित प्रवर्गों, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।"।	

(तीन) अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"5.	एम.एससी. (नर्सिंग)	1. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा रजिस्ट्रीकृत मिडवाइफ या समकक्ष होना चाहिए।	
		2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ, बी.एससी. नर्सिंग/बी.एससी. ऑनर्स नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग उत्तीर्ण होगी।	
		3. अभ्यर्थी ने बी.एससी. नर्सिंग/बी.एससी. ऑनर्स नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग की हो।	
		4. बेसिक बी.एससी. नर्सिंग के पश्चात् न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव।	
		5. आरक्षित प्रवर्ग के लिए 5 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।"।	

F-3-3-4-0001-2024-1-XVII (PHF)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with section 24 of the Madhya Pradesh Upcharika, Prasvika, Sahai Upcharika-Prasavika Swasthya Paridarshak Registrikaran Adhiniyam, 1972 (No. 46 of 1973), the State Government, hereby, makes the following makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nursing Educational Institution Admission Rules, 2024, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) In rule 1, in sub-rule (1), for the word "Education", the word "Educational" shall be substituted.

(2) In Schedule-I, in column (3),-

(i) in serial number 1, in clause (ii), the words "and Hindi" shall be omitted.

(ii) for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"4.	P.B-B.Sc.	The category and class as laid down by the Department of Public Health and Medical Education, from time to time,-		
		(i)	Must have passed Higher Secondary or Senior or Intermediate or 10+2 or and	

			equivalent examination recognized by the University for this purpose. Those who have done 10+1 on or before 1986, shall be eligible for admission.		
		(ii)	Must have obtained a certificate in General Nursing and Midwifery and registered as R.N.R.M. with the Madhya Pradesh Nurses Registration Council.		
		(iii)	A male nurse, trained before the implementation of the new integrated course beside being registered as a nurse with Madhya Pradesh Nurses Registration Council shall produce evidence of training approved by the Indian Nursing Council for a similar duration in lieu of midwifery in any one of the following areas, namely:-		
			(a)	O.T. Techniques	
			(b)	Ophthalmic Nursing	
			(c)	Leprosy Nursing	

			(d)	TB Nursing	
			(e)	Psychiatric Nursing	
			(f)	Neurological and Neurosurgical Nursing	
			(g)	Community Health Nursing	
			(h)	Cancer Nursing	
			(i)	Orthopaedic Nursing	
			Colour blind candidates are eligible provided that colour corrective contact lens and spectacles are worn by such candidate.		
		(iv)	Candidate should be medically fit.		
		(v)	5% relaxation shall be given for reserved categories i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes.".		

(iii) for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"5.	M.Sc. (Nursing)	1. The candidate should be a Registered Nurse and Registered Midwife or equivalent with Madhya	

		Pradesh Nurses Registration Council. 2. The minimum educational qualification shall be the passing of B.Sc. Nursing/B.Sc. Hons. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with minimum of aggregate marks. 3. The candidate should have undergone in B.Sc. Nursing/B.Sc. Hons. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing . 4. Minimum one year of work experience after Basic B.Sc. Nursing. 5. 5% relaxation shall be available for reserved category.”.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2024—पौष 3, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र—एफ—3—3—4—001—1—सत्रह (PHE) भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

मध्यप्रदेश शासन उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका—प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अधिनियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम, 2024 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका—प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973);

(ख) "आशा अभ्यर्थी" (Accredited Social Health Activist) से अभिप्रेत है, शासन द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ग्राम स्तर पर समुदाय दवारा ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित स्थानीय महिला (उसी ग्राम में विवाहित), जो समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य करती है;

(ग) **"स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्रेणी के अभ्यर्थी"** से अभिप्रेत हैं, मध्यप्रदेश के किसी जिला कलेक्टर द्वारा संधारित पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती व नाती अथवा नातिन;

(घ) **"प्रवर्ग"** से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग;

(ङ) **"श्रेणी"** से अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, सैनिक, दिव्यांग एवं आशा कार्यकर्ता;

(च) **"परिषद्"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद;

(छ) **"काउंसलिंग"** से अभिप्रेत है, नर्सिंग पाठ्यकमों में रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पाठ्यकमों, विषयों एवं महाविद्यालयों के आबंटन की प्रक्रिया;

(ज) **"काउंसलिंग समिति"** से अभिप्रेत है, नियम 9 में उल्लिखित किए गए अनुसार समय–समय पर संचालक द्वारा गठित काउंसलिंग समिति;

(झ) **"संचालक"** से अभिप्रेत है, संचालक नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद;

(ञ) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग"** से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 2 जुलाई, 2019 तथा परिपत्र कमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 18 जुलाई, 2019 तथा समय–समय पर इस निमित्त जारी किसी अन्य आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई नागरिक;

(ट) **"शिक्षण संस्था"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त शासकीय, स्वशासी एवं निजी संस्थाएं/विद्यालय/महाविद्यालय;

(ठ) **"प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता"** से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक में यथा उल्लिखित पात्रता मानदण्ड;

(ड) **"प्रवेश परीक्षा"** से अभिप्रेत है, **प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) जी.एन.एम.टी.एस.टी (GNMTST) ए.एन.एम.टी.एस.टी. (ANMTST) पी.बी.बी.एस.सी (PBBsc) नर्सिंग तथा एम.एस.सी. (M.Sc.)** नर्सिंस चयन परीक्षा;

(ढ) **"शासन"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(ण) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(त) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्ग;

(थ) **"दिव्यांग"** से अभिप्रेत है, भारतीय नार्सिग कौसिंल द्वारा समय–समय पर यथापरिभाषित दिव्यांगता अनुसार पात्र अभ्यर्थी;

(द) **"पोर्टल"** से अभिप्रेत है, dme.mponline.gov.in;

(ध) **"आवश्यक दस्तावेज"** से अभिप्रेत है, अनुसूची–तीन में यथा उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज;

(न) **"सैनिक"** श्रेणी के अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, भारत की किसी सेना में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त्त किसी सैनिक के पुत्र अथवा पुत्री, इसमें सेवा के दौरान मृतक सैनिक के पुत्र अथवा पुत्री भी सम्मिलित हैं;

(प) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां;

(फ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या किसी जाति, मूलवंश का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ब) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(भ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(म) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर अथवा राज्य के भीतर का कोई विश्वविद्यालय तथा स्थापित नर्सिंग शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय, स्वशासी एवं निजी विश्वविद्यालय;

(य) **"रिक्तियों"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय में स्वीकृत सीटों के विरूद्ध रिक्तियां, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक उत्पन्न होने वाली समस्त रिक्तियां सम्मिलित हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. **प्रवेश कलेण्डर.**— संचालक प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक कलेण्डर प्रकाशित करेगा जिसमें प्रवेश के विभिन्न चरणों की समयावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

4. आरक्षण.—

(1) **प्रवर्गवार आरक्षणः—**

(एक) प्रवर्गवार आरक्षण अनुसूची—दो के खण्ड "क" के अनुसार होगा।

(दो) राज्य शासन के दिशा—निर्देशों के अधीन क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(तीन) काउंसलिंग के अंतिम चरण के आबंटन में आरक्षित प्रवर्ग का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, प्रवेश हेतु आबंटन निम्न क्रम में किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को;

(ख) अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को;

(ग) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को;

(घ) उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(ङ) काउंसलिंग के अंतिम चरण में किसी विशेष आरक्षित प्रवर्ग का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, ऐसे प्रवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(2) **श्रेणीवार आरक्षणः—**

(एक) श्रेणीवार आरक्षण अनुसूची—दो के खण्ड "ख" के अनुसार होगा।

(दो) काउंसलिंग के अंतिम चरण में किसी श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में श्रेणी विशेष की रिक्तियां आबंटन हेतु संबंधित श्रेणी के उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या तक स्वतः सीमित हो जाएगी।

(ग) कुल रिक्तियों के संबंध में श्रेणीवार आरक्षण, श्रेणीवार न होकर समग्र रूप से लागू होगा।

5. **रिक्तियों का प्रकाशन.—** शिक्षण संस्था में विषय, प्रवर्ग एवं पाठ्यक्रम वार रिक्तियों का प्रकाशन पोर्टल पर कराया जाएगा। प्रदर्शित जानकारी के संबंध में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा सकेंगी जिनका निराकरण काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व किया जाएगा।

6. **पंजीयन.—** चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को आवश्यक जानकारी देते हुए विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर, पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध करानी होगी। जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन संभव नहीं हो सकेगा। पंजीयन लॉक करने के पश्चात् पंजीयन में दी गई जानकारी में परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदाय अथवा स्वीकार नहीं की जाएगी। पंजीयन अवधि के दौरान अभ्यर्थी आवश्यक जानकारी में संशोधन कर सकेगा। पंजीयन अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. **वरीयता सूची का प्रकाशन.—** विभिन्न प्रवर्गों और श्रेणियों में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

8. **पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दर्ज करना.—** नियम 7 के अधीन वरीयता सूची के प्रकाशन के उपरांत, पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध उनके विकल्प, परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा च्वॉइस लॉक करेंगे अन्यथा अंतिम विकल्प सूची मान्य होगी।

9. **काउंसलिंग समिति.—** संचालक द्वारा आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुमोदन से समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 05 सदस्य सम्मिलित होंगे।

10. **काउंसलिंग की प्रक्रिया.—**

(1) **काउंसलिंग के प्रथम चरण में प्रवेश हेतु आबंटन,—** पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का मिलान करते हुए वरीयताक्रम में पाठ्यक्रम, विषय एवं शिक्षण संस्था विनिर्दिष्ट करते हुए पंजीकृत अभ्यर्थियों को आबंटन आदेश जारी किया जाएगा, अर्थात्:—

(एक) नियम 10 के उप–नियम (1) के अधीन जारी आबंटन आदेश के विरूद्ध शिक्षण संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

(क) प्रत्येक शिक्षण संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षण संस्था के प्राचार्य की अध्यक्षता में न्यूनतम तीन सदस्यीय प्रवेश समिति गठित की जाएगी, जिसमें 2 सदस्य शिक्षक होंगे। प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के प्रयोजन के लिए प्रवेश समिति द्वारा शिक्षण संस्था के अन्य नर्सिंग शिक्षकों तथा कर्मचारिवृंद की सहायता ली जा सकेगी;

(ख) ऐसा पंजीकृत अभ्यर्थी, जिसने अपग्रेड का विकल्प नहीं लिया है उसे नियम 10 के उप–नियम (1) के अधीन प्रवेश हेतु जारी आबंटन आदेश की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिक्षण संस्था की प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(ग) शिक्षण संस्था की प्रवेश समिति पात्र अभ्यर्थी की चयन परीक्षा के लिए कराए गए पंजीयन की जानकारी का परीक्षण करेगी और अनुसूची–तीन में उल्लिखित दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश आदेश पोर्टल द्वारा ऑनलाईन जारी किया जाएगा। अंतिम प्रवेश उपरांत अभ्यर्थियों को प्रवेशित संस्था में शुल्क जमा कराना होगा।

(घ) प्रथम चरण में ऑनलाईन आबंटन आदेश जारी किए जाने से पूर्व अभ्यर्थियों के पास अंतिम चरण हेतु बेहतर विकल्प चुनने (अपग्रेड) का एक उपबंध होगा। इन अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।

(दो) शिक्षण संस्था की प्रवेश समिति के विनिश्चय से असंतुष्ट अभ्यर्थी ऐसे विनिश्चय के जारी किए जाने की तारीख से दो दिवस के भीतर काउंसलिंग समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे।

(2) **काउंसलिंग के अंतिम चरण में प्रवेश हेतु आबंटनः–**

काउंसलिंग के अंतिम चरण में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:–

(एक) नियम 10 के उप–नियम (1) के अधीन जारी आबंटन आदेश के संदर्भ में नियम 10 के उप–नियम (1) के खण्ड (एक) के अधीन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत, उपलब्ध रिक्तियां, जिनमें नियम 10 के उप–नियम (1) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (घ) के अधीन बेहतर विकल्प के चयन के कारण उत्पन्न आभासी (वर्चुअल) रिक्तियां सहित उपलब्ध रिक्तियां, पोर्टल पर प्रकाशित की जाएंगी;

(दो) पात्र अभ्यर्थी वरीयता क्रम में उनके विकल्प पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे;

(तीन) अभ्यर्थियों को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम के माध्यम से रिक्तियों से पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम में आबंटन आदेश जारी किया जाएगा;

(चार) उपरोक्त खण्ड (तीन) के अधीन आबंटन आदेश जारी होने पर अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में लिया गया प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(पांच) काउंसलिंग के प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपग्रेड का विकल्प लिया गया था, उन्हें आबंटन के पश्चात् प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षण संस्था में स्वयं उपस्थित होना होगा तथा मूल दस्तावेज, दस्तावेजों की छाया प्रतियां जमा करना होंगी तथा संबंधित शिक्षण संस्था में प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा ।

(3) काउंसलिंग के अन्तिम चरण के पश्चात् प्रवेश हेतु प्रकिया–

(एक) इस चरण में, ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्व में किसी भी चरण में सीट आबंटन हुआ है, पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के अन्तिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत, यदि किसी शिक्षण संस्था में कोई रिक्ति शेष रहती है, तो रिक्ति का पोर्टल पर पाठ्यक्रमवार एवं शिक्षण संस्थावार का प्रकाशन किया जाएगा।

(दो) इस चरण में, अभ्यर्थियों हेतु पंजीयन पुनः खोला जा सकेगा एवं पंजीयन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत अभ्यर्थी परस्पर वरीयता क्रम में उनके विकल्प पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा अपनी च्वॉइस लॉक करेंगे।

(तीन) पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम के माध्यम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का मिलान करते हुए, वरीयता क्रम में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम, विषय एवं शिक्षण संस्था विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा।

(चार) अंतिम चरण के पश्चात्, यदि आवश्यकता हो तो, आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन उपरांत, बची हुई सीटों पर काउंसलिंग की प्रकिया नियम 10 के उप–नियम (3) के अनुसार पुनः एक चरण में की जाएगी, जो कि अंतिम होगी।

11. आशा अभ्यर्थी.–

(1) ऐसे आशा अभ्यर्थी, जिन्हें न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो, आरक्षण के लिए अर्ह होंगी ।

(2) संस्था में प्रवेश के समय संबंधित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. प्रवेश से त्यागपत्र.–

(1) काउंसलिंग के प्रथम चरण में प्रवेशित छात्र अंतिम चरण शुरू होने के 2 दिन पूर्व अपना त्यागपत्र ऑनलाईन, संस्था स्तर पर दे सकेगा। अंतिम चरण के अभ्यर्थियों को त्यागपत्र देने की सुविधा नहीं मिलेगी।

(2) प्रवेश से त्यागपत्र की दशा में जमा कराए गए शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि संबंधित संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट कटौतियों के उपरांत अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी।

13. **प्रवेश का निरस्तीकरण.—** संचालक, नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन अध्यक्ष निम्न परिस्थितियों में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:—

(1) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की अर्हता, पात्रता, प्रवर्ग, मूल निवास आदि संबंधी जानकारी के असत्य पाए जाने पर संचालक, नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन अध्यक्ष मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

(2) प्रवेश निरस्त करने का निर्णय लेने के पूर्व संबंधित छात्र को 3 दिवस का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) ऐसे अभ्यर्थी, जिनका प्रवेश उप—नियम (1) के अधीन निरस्त किया गया हो, वह नियम 2 के उप—नियम (1) के खण्ड (घ) में यथा उल्लिखित संचालक, नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रशन कौसिंल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए स्वतः निरर्हित हो जाएगा।

(4) शिक्षण संस्थानों के लिए संचालक, नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश बंधनकारी होगा, जिसके उल्लंघन की दशा में संचालक, नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल, चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्था के प्रबंधन एवं प्राचार्य के विरूद्ध समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

14. **बंधपत्र.—** अनूसूची—तीन वर्णित किसी बन्धपत्र की शर्त के उल्लघंन की दशा में बन्धपत्र की राशि उल्लघंनकर्ता से वसूल की जाएगी।

15. **निर्वचन.—** इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह संचालक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु इन नियमों के निर्वचन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में संचालक, नर्सिंग एवं सह चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल, चिकित्सा शिक्षा का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।

16. **कठिनाईयों का दूर किया जाना.—** इन नियमों से संबंधित कोई कठिनाई उद्भूत होने पर, संचालक के आदेश द्वारा कठिनाई को दूर किया जा सकेगा।

अनुसूची–एक
(नियम 2 (1) (घ) एवम (ठ) देखिए)

अनक्रमांक	पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु अर्हताएं			अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)			(4)
1.	बी.एस.सी. (नर्सिंग)	1.	अभ्यर्थी के श्रेणी एवं श्रेणी के लिए भरतीय नर्सिंग कौंसिल द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारितः–		काउंसलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत से उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी व हिन्दी में पृथक–पृथक उत्तीर्ण हो। आरक्षित प्रवर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	
			(तीन)	आयु की परिधि में होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होना चाहिए ।	
		2.	मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना चाहिए।		
		3.	अभ्यर्थी मेडिकली फिट होना चाहिए।		
2.	जनरल नर्सिंग एन्ड मिडवाइफरी	1.	प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारितः–		–
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	
			(तीन)	आयु की परिधि में होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होना चाहिए ।	

3.	अग्जीलरी नर्स मिडवाइफरी	–तदैव–			–
4.	पी.बी–बी. एससी	1.	प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारितः–		–
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	
5.	एम.एससी (नर्सिंग)	1.	प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारितः–		–
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	

अनुसूची–दो
(नियम 4 देखिए)

खण्ड–क प्रवर्गवार आरक्षण

अनुक्रमांक	प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1.	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत

खण्ड–ख श्रेणीवार आरक्षण

अनुक्रमांक	श्रेणी	पाठ्यक्रम यह जिसमें लागू है	महाविद्यालय जिनमें यह लागू है	कुल सीटों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला अभ्यर्थी	समस्त	निजी/स्वशासी व शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था में	
2.	दिव्यांग अभ्यर्थी	समस्त	–तदैव–	6 प्रतिशत
3.	स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी	बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. नर्सिंग, ए.एन.एम.	केवल स्वशासी व शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था में	3 प्रतिशत
4.	सैनिक अभ्यर्थी	बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. नर्सिंग, ए.एन.एम.	–तदैव–	3 प्रतिशत
5.	आशा कार्यकर्ता	ए.एन.एम.	केवल शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था में	25 प्रतिशत

अनुसूची–तीन
(नियम 2 (1) (ध) देखिए)
प्रवेश हेतु वांछित दस्तावेज

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम	जी.एन.एम.	बी.एस. सी. नर्सिंग	ए.एन. एम.	पीबी. बी. एस.सी.	एम.एस सी.
1.	प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की छायाप्रति (प्रवेश पत्र)	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
2.	प्रवेश पात्रता परीक्षा की अंक सूची की प्रति	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
3.	अर्हता परीक्षा की अंकसूची की मूल प्रति (यथा हायर सेकेण्ड्री, 10+2)।	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
4.	कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) की मूल प्रति।	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
5.	जी.एन.एम. की अंकसूची, एस.एन.आर.सी का जीवित प्रमाण पत्र, शासन में परीवीक्षा अवधि।	नहीं	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं
6.	बी.एस.सी./पीबी. बी.एस.सी. की अंकसूची, एस. पी.एन.आर.सी का जीवित प्रमाण–पत्र, शासन में परीवीक्षा समाप्ति अवधि।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हॉ
7.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
8.	प्रवेश पात्रता परीक्षा के ठीक पूर्व का अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है।	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
9.	अभ्यर्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति।	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
10.	आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/EWS प्रमाण–पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ

11.	दिव्याग श्रेणी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र		हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
12.	संचालक, द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेजः–						
	(1)	स्वशासी/शासकीय शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी संस्थान मे 1 वर्ष की सेवा शासकीय चिकित्सालय में देने के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह सेवा न करने पर स्वशासी संस्था में राशि रू. 2 लाख में जमा करना अनिवार्य होगा।					
	(2)	छात्र/छात्रा दवारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यकम पूर्ण न करने से स्थिति में राशि रू. 2 लाख शासकीय कोषालय में जमा करना अनिवार्य होगा।					
	(3)	निजी नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यकम पूर्ण न करने की स्थिति में पाठ्यकम की शेष प्रशिक्षण शुल्क की राशि संबंधित संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।					
13.	सैनिक श्रेणी का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमाण्डेंट द्वारा और सेवानिवृत्त अथवा मूल सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।						
14.	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्रेणी का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।						
15.	आशा अभ्यर्थियों के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी निरंतर 5 वर्ष कार्य संपादन का प्रमाण–पत्र।						

F-3-3-4-001-2024-1-XVII(PHE)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with section 24 of the Madhya Pradesh Upcharika, Prasavika, Sahai Upcharika-Prasavika Swasthya Paridarshak Registration Adhiniyam, 1972 (No. 46 of 1973), the State Government, hereby, makes the following rules for admission in the Madhya Pradesh Nursing Educational Institutions, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Nursing Education Institution Admission Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Madhya Pradesh Upcharika, Prasavika, Sahai Upcharika-Prasavika Swasthya Paridarshak Registration Adhiniyam, 1972 (No. 46 of 1973);

(b) **"ASHA candidate"** means a recognized social health worker appointed by the Government or a local woman (married in the same village) identified by the community at the village level through Gram Sabha, who works to connect the community with health services and programs;

(c) **"Candidate of freedom fighter class"** means the son or daughter, grandson or granddaughter of a registered

freedom fighter maintained by any District Collector of Madhya Pradesh;

(d) **"Category"** means Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section and unreserved category;

(e) **"Class"** means women, freedom fighters, soldiers, differently abled and ASHA workers;

(f) **"Council"** means the Madhya Pradesh Nurses Registration Council;

(g) **"Counselling"** means the process of allocating courses, subjects and colleges for admission against vacancies in Nursing courses;

(h) **"Counselling Committee"** means the Counselling Committee constituted by the Director, from time to time, as mentioned in rule 9;

(i) **"Director"** means the Director, Nursing and Paramedical, Public Health and Medical Education Department, Ex-officio Chairman, Madhya Pradesh Nurses Registration Council;

(j) **"Economically Weaker Section"** means a citizen of economically weaker section as specified by the General Administration Department's Circular No. F-07-11/2019/आ.प्र./one dated 2nd July, 2019 and Circular No. F-07-11/2019/आ.प्र./one dated 18th July, 2019 and any other orders issued in this behalf, from time to time;

(k) **"Educational Institution"** means all Government, Autonomous and Private Institutions/Schools/Colleges recognized by the Madhya Pradesh Nurses Registration Council;

(l) **"Eligibility for Entrance Examination"** means the eligibility criteria as mentioned in Schedule-I;

(m). **"Entrance examination"** means Pre Nursing Selection Test PNST, GNMTST, ANMTST, PBBsc Nursing and M.Sc. Nursing Selection Test;

(n) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(o) **"Governor"** means the Governor of Madhya Pradesh;

(p) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(q) **"Person with Disability"** means eligible candidates as per the disability as defined by Indian Nursing Council from time to time;

(r) **"Portal"** means dme.mponline.gov.in;

(s) **"Required Documents"** means the required documents as mentioned in Schedule-III;

(t) **"Sainik"** class candidate means the son or daughter of a serving or retired soldier in any army of India, it also includes the son or daughter of a soldier who died during service;

(u) **"Schedule"** means the Schedules appended to these rules;

(v) **"Scheduled Castes"** means a member of any caste, race or part of or group within a caste, race specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(w) **"Scheduled Tribes"** means a member of any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(x) **"State"** means the State of Madhya Pradesh;

(y) **"University"** means the Madhya Pradesh Medical University, Jabalpur or any university within the State Government, Autonomous and Private Universities offering established Nursing Education courses;

(z) **"Vacancies"** means the vacancies against the seats sanctioned in the college for the course by the Madhya Pradesh Nurses Registration Council which includes all the vacancies arising till the completion of the admission process.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Admission Calendar.-** The Director shall publish a calendar for admission to the course every year in which the timelines for various rounds of admission shall be specified.

4. **Reservation.-**

(1) Category-wise reservation:-

(i) category-wise reservation shall be as per Section-A of Schedule-II;

(ii) under the guidelines of the State Government, candidates of Other Backward Classes category falling under the ambit of creamy layer shall not be given the benefit of reservation;

(iii) in case qualified registered candidates of reserved category are not available in the allotment of final stage

of counselling, the allotment for admission shall be done in the following order, namely:-

(a) to Scheduled Castes candidates against the vacancies of Scheduled Tribes;

(b) to Scheduled Tribes candidates against the vacancies of Scheduled Castes;

(c) to Other Backward Classes candidates against the vacancies of Scheduled Tribes and Scheduled Castes;

(d) in case, reserved candidates of the above three categories are not available, the admission shall be given to candidates of unreserved category against the vacancies;

(e) in case qualified registered candidates of a particular reserved category are not available in the final stage of counselling, candidates of unreserved category shall be admitted against the vacancies of such category.

(2) Class wise reservation:-

(i) class-wise reservation shall be as per Section-B of Schedule-II;

(ii) in case qualified registered candidates of a particular class are not available in the final stage of counselling, the vacancies of the particular class shall automatically be limited to the number of available qualified registered candidates of the respective class for allotment;

(iii) the category-wise reservation, not being class-wise, shall be applicable as a whole in relation to the total vacancy.

5. Publication of vacancies.- Subject, category and course wise vacancies in the educational institution shall be published on the

portal. Objections can be registered on the portal within the specified time limit regarding the displayed information, which shall be resolved before the counselling process starts.

6. **Registration.**– The candidate who has passed the selection test shall have to register within the specified time limit by giving the necessary information on the portal. The candidate must provide all the information required for registration on the portal, in the registration form. Registration shall not be possible in case the information is incomplete. After locking the registration, changes, amendments or additional information given in the online registration form cannot be provided or accepted. During the registration period, the candidate shall be able to amend the necessary information. After the registration period ends, no amendment of any kind shall be accepted.

7. **Publication of merit list.**- The merit list of candidates registered in various categories and class shall be displayed on the portal.

8. **Registration of options by registered candidates.**- After publication of merit list under rule 7, the registered candidates shall register their options against the available vacancies on the portal giving their options in order of preference and shall lock the choice, otherwise the final option list shall be accepted.

9. **Counselling Committee.**- The Committee shall be constituted by the Director with the approval of the Commissioner, Public Health and Medical Education Department, which shall consist of minimum of 5 members.

10. **Process of counselling.**-

(1) **Allotment for admission in the first round of counselling-** Allotment order shall be issued to the registered candidates in order of preference by matching the vacancies and the options of the registered candidates through computerised process on the portal, specifying the course, subject and Educational Institution, namely:-

(i) the process of admission in Educational Institution against the allotment order issued under sub-rule (1) of rule 10 shall be as follows, namely:-

(a) to complete the admission process in each Educational Institution, a minimum three-member Admission Committee shall be constituted every year under the chairmanship of the Principal of the Educational Institution, in which 2 members shall be teachers. The help of other nursing teachers and staff of the Educational Institution may be taken by the Admission Committee to complete the admission process;

(b) such registered candidate who have not opted for upgrade shall have to appear before the Admission Committee of the Educational Institution with the copy of the allotment order issued for admission under sub-rule (1) of rule 10 and the required documents;

(c) the Admission Committee of the Educational Institution shall examine the registration information done for the selection test of the eligible candidate and after examination of the documents mentioned in Schedule-III, the admission order of eligible candidate shall be issued online through the portal. After final admission, the candidates shall have to deposit the fee in the admitted Institution;

(d) before the issue of online allotment order in the first round, there shall be a provision for the candidates to choose a better option (upgrade) for the final round. It shall be mandatory for these candidates to do choice filling and locking in the final round;

(ii) candidates dissatisfied with the decision of the Educational Institution's Admission Committee may represent their case before the Counselling Committee within two days from the date of issuance of such decision.

(2) **Allotment for admission in the final round of counselling-**

The procedure for allotment for admission in the final round of counselling shall be as follows, namely:-

(i) after completion of admission process under clause (i) of sub-rule (1) of rule 10 in reference of allotment order issued under sub-rule (1) of rule 10, available vacancies including virtual vacancies generated due to selection of better option under sub-clause (d) of clause (i) of sub-rule (1) of rule 10 shall be published on the portal;

(ii) eligible candidates may register their options on the portal in order of preference;

(iii) allotment order shall be issued to the candidates in the order of preference after matching the options of registered candidates with the vacancies through computerised process on the portal;

(iv) on issue of allotment order under clause (iii) above, the admission taken by a candidate in the first round of counselling shall automatically stand cancelled;

(v) the candidates who opted for upgrade in the first round of counselling after allotment shall have to appear in person at the concerned Educational Institution for admission after allotment and submit original documents, photocopies of documents and deposit the admission fee in the concerned Educational Institution.

(3) **Process for admission after the final round of counselling-**

(i) in this round, candidates who have been allotted seats in any round earlier shall not be eligible for this round. After completing the admission process of the last round of counselling, if any vacancy remains vacant in any Educational Institution, then the course wise and Educational Institution wise vacancy shall be published on the portal;

(ii) in this round, registration shall be open again for the candidates and after registration, the list of eligible candidates shall be displayed on the portal. Candidates registered against the available vacancies shall enter their options in the order of preference on the portal and lock their choices;

(iii) by matching the vacancies and options of registered candidates through computerized process on the portal, allotment order shall be issued to the registered candidates in order of priority, specifying the course, subject and Educational Institution;

(iv) after the final round, if required, after the approval of Commissioner, Government of Madhya Pradesh, Public Health and Medical Education, the process of counselling on the remaining seats shall be done again in one round as per sub-rule (3) of rule 10, which shall be final.

11. ASHA candidates.-

(1) ASHA candidates who have minimum 5 years of work experience shall be eligible for reservation.

(2) At the time of admission in the institution, it shall be necessary to submit a no objection certificate/permission letter from the concerned employer.

12. Resignation from admission.-

(1) A student admitted in the first round of counselling may give their resignation online, at the institution level, 2 days before the start of the final round. Candidates of the final round shall not get the facility to resign.

(2) In case of resignation from admission, the amount of tuition fee and other fees deposited shall be returned to the candidate by the concerned institution after specified deductions.

13. Cancellation of admission.- The Director, Nursing and Allied Health, Public Health and Medical Education Department, Ex-officio Chairman, may cancel the admission of a candidate under the following circumstance, namely:-

(1) If the information regarding the candidate's qualification, eligibility, category, native place, etc. is found to be false for admission in the course, the admission may be cancelled by the Director, Nursing and Allied Health, Public Health and Medical Education Department, Ex-officio Chairman, Madhya Pradesh Nurses Registration Council.

(2) Before taking a decision to cancel the admission, the concerned student shall be given an opportunity of being heard by issuing a show cause notice of 3 days.

(3) Such candidates, whose admission has been cancelled under sub-rule (1), shall automatically become ineligible for any examination conducted by the Director, Nursing and Allied Health, Public Health and Medical Education Department, Ex-officio Chairman, Madhya Pradesh Nurses

Registration Council, as mentioned in clause (d) of sub-rule (1) of rule 2.

(4) The order of the Director, Nursing and Allied Health, Public Health and Medical Education Department, shall be binding for Educational Institutions, in case of any violation, the Director, Nursing and Allied Health, Public Health and Medical Education Department, Ex-officio Chairman, Madhya Pradesh Nurses Registration Council, Medical Education may take appropriate action against the management and principal of the Educational Institution.

14. Bond.- In case of violation of the condition of any bond mentioned in Schedule-III, the amount of the bond shall be recovered from the violator.

15. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Director whose decision thereon shall be final:

Provided that in case of any dispute related to the interpretation of these rules, the decision of the Director, Nursing and Co-medical, Public Health and Medical Education Department, Ex-officio Chairman, Madhya Pradesh Nurses Registration Council shall be final and binding on all concerned.

16. Removal of difficulties.- In case of any difficulty arising in connection with these rules, the difficulty may be removed by the order of the Director.

SCHEDULE-I

[see rule 2 (1) (d) and (l)]

S. No.	Course	Qualifications for Admission			Remarks
(1)	(2)	(3)			(4)
1.	B.Sc. (Nursing)	1.	As laid down by Indian Nursing Council, from time to time for the category and class of the candidate,-		In case, local residents of Madhya Pradesh are not available among the candidates registered for second round and subsequent round of counselling, this eligibility shall be automatically considered relaxed for the vacancies available at that time
			(i)	to obtain minimum percentage - 50 percentage for unreserved / Economically Weaker Section category, 45 percentage for unreserved handicapped, 40 percentage for reserved category Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes	
			(ii)	must have passed 12th class with minimum 45% marks in Physics, Chemistry and Biology subjects. Must have passed separately in English and Hindi. There shall be 5% relaxation for reserved categories Scheduled Castes, Scheduled	

				Tribes and Others Backward Classes	
			(iii)	must be within the age limit i.e. candidate's minimum age must be 17 years as on 31st December in the examination Year.	
		(2)	Must be a local resident (native) of Madhya Pradesh.		
		(3)	Candidate should be medically fit.		
2.	General Nursing and Midwifery		The category and class as laid down by the Department of Public Health and Medical Education, from time to time,-		-----
			(i)	to obtain minimum percentage - 50 percentage for unreserved / Economically Weaker Section category, 45 percentage for unreserved handicapped, 40 percentage for reserved category Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes	
			(ii)	must have passed 12th class with minimum 45% marks in Physics, Chemistry and Biology subjects. Must have passed separately in English and Hindi.	

				There shall be 5% relaxation for reserved categories Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes	
			(iii)	must be within the age limit. candidate's minimum age must be 17 years as on 31st December in the examination Year.	
3.	Auxiliary Nurse Midwife	--do--			-----
4.	P.B-B.Sc.	The category and class as laid down by the Department of Public Health and Medical Education, from time to time,-			-----
		(i)		to obtain minimum percentage - 50 percentage for unreserved / Economically Weaker Section category, 45 percentage for unreserved handicapped, 40 percentage for reserved category Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes	
		(ii)		must have passed 12th class with minimum 45% marks in Physics, Chemistry and Biology subjects. Must have	

			passed separately in English and Hindi. There shall be 5% relaxation for reserved categories Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes	
5.	M.Sc. (Nursing)	--do--		-----

SCHEDULE-II

(see rule 4)

Section-A Category-wise reservation

S.No.	Category	Reservation Percentage
(1)	(2)	(3)
1.	Scheduled Castes	16%
2.	Scheduled Tribes	20%
3.	Other Backward Classes	27%
4.	Economically Weaker Section	10%

Section- B-Class-wise Reservation

S.No.	Class	Course in which it is applicable	Colleges in which it is applicable	Percentage of total seats
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Female candidates	All	Private/ autonomous and Government Nursing Education Institutions	-----
2.	Disabled candidates	All	--do--	6 %
3.	Freedom fighter candidates	B.Sc. Nursing, GNM Nursing, ANM	Only in autonomous and Government Nursing Education Institutions	3 %

4.	Military personnel candidates	B.Sc. Nursing, GNM Nursing, ANM	--do--	3 %
5.	Asha worker	ANM	Only in Government Nursing Education Institutions	25 %

SCHEDULE-III

[see rule 2(1) (s)]

Documents required for admission

S. No.	**Courses**	**GNM**	**B.Sc (Nursing)**	**ANM**	**PB-B.Sc.**	**M.Sc (Nursing)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	Photocopy of candidate's registration for entrance eligibility test (Admit Card)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2.	Copy of marksheet of entrance eligibility test	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3.	Original copy of marksheet of qualifying test (i.e. Higher Secondary, 10+2).	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
4.	Original copy of class 10th passing certificate or marksheet (in which date of birth is mentioned).	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5.	GNM Marksheet, SNRC Life Certificate, Probationary Period in Government	No	No	No	Yes	No
6.	B.Sc./ P.B-B.Sc. Marksheet, Life Certificate of S.P.N.R.C., Probation	No	No	No	No	Yes

	Completion Period in Government					
7.	Original copy of local resident (native resident) certificate of Madhya Pradesh issued by the competent authority	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
8.	Certificate of annual income of the candidate's family just before the entrance eligibility test. This certificate can also be issued by the candidate himself	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
9.	Photocopy of the candidate's Aadhaar card	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10.	Original copy of permanent caste certificate/ Economically Weaker Section certificate issued by the competent authority to avail the benefit of reservation.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
11.	Certificate issued by the District Medical Board for the candidate taking benefit of the disabled category	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

12.	Thc following documcnts in thc form displayed on the portal by the Director, namely:-	
	(1)	After completing the course in autonomous/Government Educational Institute, the candidate shall be bound to serve in the Institute for 1 year in a Government hospital. If the candidate does not serve, it shall be compulsory to deposit an amount of Rs. 2 lakh in the autonomous Institute.
	(2)	In case the student does not complete the course from Government nursing colleges/training institute, it shall be compulsory to deposit an amount of Rs. 2 lakh in the Government treasury.
	(3)	In case the course is not completed from private nursing college/training Institute, it shall be compulsory to deposit the remaining amount of training fee of the course in the concerned Institute.
13.	Original copy of certificate issued by the Commandant of his unit in respect of a serving soldier and by the Sainik Welfare Board of his District in respect of a retired or original soldier to avail the benefit of Sainik category.	
14.	Certificate issued by the concerned District Magistrate to the candidate to avail the benefit of freedom fighter category.	
15.	Certificate of continuous work of 5 years issued by the concerned Chief Medical and Health Officer for ASHA candidates.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.